

दूरस्थ मतदान सुविधा

प्रलिस के लयः

दूरस्थ मतदान सुविधा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भारत नरिवाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS), e-SHRAM पोर्टल

मेन्स के लयः

रमिोट वोटगि सुविधा, रमिोट वोटगि की आवश्यकता

चरचा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने कहा कविह [अनविासी भारतीयों \(NRI\)](#), विशेष रूप से प्रवासी मज़दूरों के लयि [दूरस्थ मतदान सुविधा](#) पर वचिार कर रही है, ताक [चुनावी प्रकरया](#) की अखंडता सुनिश्चति करते हुए दूरस्थ मतदान सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2020 में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने दूरस्थ मतदान को सकषम करने के लयि [ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग](#) करने का वचिार भी प्रस्तावति कया। इसका उद्देश्य मतदान में भौगोलकि बाधाओं को दूर करना है।
 - आयोग दूरस्थ मतदान की संभावना पर वचिार कर रहा है जसिसे लोग अपने कारयस्थल से मतदान कर सकेंगे।
- जनप्रतनिधित्व (संशोधन) वधियक 2017 में [जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1951](#) की धारा 20A के तहत लगाए गए 'अनुचति प्रतबंध' को हटाने का प्रस्ताव कया गया था, जसिके तहत वदिश में रह रहे भारतीय मतदाताओं को अपने नरिवाचन कषेत्रों में मतदान करने के लयि भौतिक रूप से उपस्थति रहने की आवश्यकता होती है।
 - यह वर्ष 2018 में वधियक में पारति हो गया था, लेकनि **16वीं लोकसभा के भंग** होने के साथ समाप्त हो गया।
- वर्तमान में केवल नमिनलखिति मतदाताओं को [डाक मतपत्र](#) के माध्यम से अपना वोट डालने की अनुमति है:
 - सेवारत मतदाता (सशस्त्र बल, कसिी राज्य का सशस्त्र पुलसि बल और वदिश में तैनात सरकारी कर्मचारी),
 - मतदाता, चुनाव ड्यूटी में संलग्न,
 - 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या ककिलांग व्यकत् (PWD),
 - [नविारक नजरबंदी](#) के तहत मतदाता।

रमिोट वोटगि/दूरस्थ मतदान:

- दूरस्थ मतदान कसिी नयित मतदान केंद्र के अलावा कही और व्यकत्गित रूप से हो सकता है या कसिी अन्य समय पर हो सकता है या वोट डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं या नयिकृत प्रॉक्सी द्वारा डाले जा सकते हैं।
 - वभिनिन राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई है क चुनाव आयोग को यह सुनिश्चति करना चाहयि क प्रवासी श्रमकि [एनआरआई \(अनविासी भारतीय\) जो मतदान से चूक जाते हैं, कयोंक वे अपने मताधिकार का प्रयोग](#) करने के लयि चुनाव के दौरान घर जाने का जोखमि नहीं उठा सकते हैं, उन्हें जसि शहर में वे काम कर रहे हैं, वहाँ के नरिवाचन कषेत्र में वोट देने की अनुमति दी जानी चाहयि।

दूरस्थ मतदान की आवश्यकता:

- प्रतकिल परस्थितियों के कारण:
 - मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से शहरों और अन्य स्थानों पर शकिषा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों के लयि प्रवासन करते हैं। उनके लयि वोट डालने के लयि अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों पर लौटना मुशकलि हो जाता है।
 - यह भी देखा गया है क उत्तराखंड के दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में लगभग **20-25%** पंजीकृत मतदाता अपने नरिवाचन कषेत्रों में वोट डालने में असमर्थ हैं कयोंक उन्हें नौकरी या शैकषिक कारण से अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पडता है।

- **मतदान प्रतशित में कमी:**
 - वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन नागरिकों ने अपना वोट नहीं डाला।
- **महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित चिंताएँ:**
 - चुनाव आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में मतदाता के लिये 2 कमी. के भीतर मतदान केंद्र स्थापित किये जाने के बावजूद कुछ महानगरों/शहर क्षेत्रों में कम मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की गई। शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता को दूर करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- **असंगठित श्रमिकों का बढ़ता पंजीकरण:**
 - प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 10 मिलियन है, जो असंगठित क्षेत्र से हैं और सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। यदि रमिोट वोटिंग परियोजना को लागू किया जाता है, तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**
 - मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भी मुख्य विचार-वमिर्श बन रहे हैं। दूरस्थ मतदान सुविधा के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान प्रतशित में वृद्धि होगी।

रमिोट वोटिंग से संबंधित समस्याएँ :

- **सुरक्षा:**
 - कोई भी नई प्रौद्योगिकी प्रणाली जिसमें बलॉकचेन प्रौद्योगिकी और अन्य पर आधारित प्रणाली शामिल है, साइबर हमलों एवं अन्य सुरक्षा कमजोरियों के प्रति संवेदनशील है।
- **सत्यता और पुष्टिकरण:**
 - इसके अलावा एक मतदाता सत्यापन प्रणाली जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, जैसे कि चेहरे की पहचान, मतदाता पहचान में सकारात्मक या नकारात्मक झूठी जानकारी दे सकती है, इस प्रकार से धोखाधड़ी को बल मलित है।
- **इंटरनेट कनेक्शन और मालवेयर सुरक्षा:**
 - मतदान हेतु मतदाताओं की निर्भरता विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन पर रहती है कुछ देशों में इंटरनेट की पहुँच और उपलब्धता एवं ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग सीमित है।
 - मतदाताओं के उपकरणों पर सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मालवेयर भी वोट कास्टिंग (मतदान) को प्रभावित कर सकते हैं।
- **गोपनीयता:**
 - मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चुनावों की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने का मतलब है कि ऑनलाइन वोटिंग तकनीक से उन बाधाओं को दूर करना होगा जो मतदाता की गोपनीयता के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **पसंदीदा वातावरण:** यह भी संभव है कि मतदान अनिश्चित वातावरण में हो। अतः यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से और बिना ज़बरदस्ती के मतदान करे।
 - इसमें जोखिम यह है कि कोई अन्य व्यक्ति मतदाता की ओर से मतदान करता है, इसलिये मतदाता की पहचान करना मुश्किल है।

भारतीय चुनावों में प्रवासी मतदाताओं के लिये वर्तमान मतदान प्रक्रिया:

- **जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010** के माध्यम से पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे थे, को मतदान करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहाँ उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था।
 - वर्ष 2010 से पहले एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है तथा छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा हो, चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिये था क्योंकि वह देश से बाहर छह महीने से अधिक समय तक रहा है और NRI का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था।
- NRI, निर्वाचन क्षेत्र में अपने नविस स्थान पर मतदान कर सकता है, जैसा कि पासपोर्ट में उल्लिखित है।
- वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है और पहचान के लिये उसे मतदान केंद्र पर अपना पासपोर्ट मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

आगे की राह

- ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह सत्यापन करने में भी सक्षम होना चाहिये कि इसमें चुनाव की अखंडता बनी रहने के साथ मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुई हो।
- यह महत्त्वपूर्ण है कि रमिोट वोटिंग की किसी भी प्रणाली में चुनावी प्रणाली के सभी हतिधारकों- मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास एवं स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के साथ राजनीतिक सहमति भी रमिोट वोटिंग शुरू करने का एक रास्ता है।
- यदि सरकार या आम जनता इसकी सुरक्षा, अखंडता और सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है तो उचित कानूनी ढाँचे के बावजूद ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा।
- प्रभावी डाक प्रणाली तथा डाक मतपत्र तंत्र, जो नामित कांसुलर/दूतावास कार्यालयों में मतपत्र के उचित प्रमाणीकरण की अनुमति देता है, को अनविासी भारतीयों के लिये आसान बनाया जाना चाहिये, लेकिन देश से दूर बतिए गए समय के आधार पर पात्रता हेतु नयियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

????????

भारत में मतदान करने और नरिवाचति होने का अधिकार है: (2017)

- (a) मौलिक अधिकार
- (b) प्राकृतिक अधिकार
- (c) संवैधानिक अधिकार
- (d) कानूनी अधिकार

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- मतदान का अधिकार संवधान के अनुच्छेद 326 में नहिति है जसिमें प्रावधान कयिा गया है कलोकसभा और प्रत्येक राज्य की वधानसभा के लयि नरिवाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे । प्रत्येक व्यक्तजो भारत का नागरिकि है और कम से कम अठारह वर्ष की आयु का है और संवधान या समुचति वधानमंडल द्वारा बनाई गई कसिी वधि के अधीन अनविस, चतितवकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा नरिहति नही कर दयिा जाता है, को ऐसे कसिी नरिवाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार होगा ।
- नरिवाचति होने के अधिकार के तहत संवधान में संसद सदस्य (अनुच्छेद 84), राज्य वधानमंडलों के सदस्य (अनुच्छेद 173), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लयि आवश्यक न्यूनतम योग्यता का प्रावधान कयिा गया है । अनुच्छेद 84 में प्रावधान कयिा गया है कभारत का एक नागरिकि जो तीस वर्ष से कम आयु का नही है, वह राज्यसभा में चुने जाने के लयि पात्र है और ऐसा व्यक्तजो पच्चीस वर्ष से कम आयु का नही है, वह लोकसभा में चुने जाने के लयि पात्र है ।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है ।

??????

Q. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता निर्धारण प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है" । टपिपणी कीजयिे । (2020)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/remote-voting-facility-1>